कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 1036 /11–सी–FP/UP/Road/29617/2017, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 24 ,2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– बहराइच वन प्रभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–28सी के किमी0 92.547 से किमी0 99.000 तक बहराइच बाईपास के पुनरूद्धार एवं उच्चीकरण कार्य हेतु प्रभावित 0.7225 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्रांक–35/14–2–2018–800(33)/2018, दिनांक 21.03.2018 एवं वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, गोण्डा का पत्रांक–1032/33–1, दिनांक 22.09.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, गोण्डा के उपरोक्त पत्रांक–1032/33–1, दिनांक 22.09.2021 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन ''परिवेश'' पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–1036/11–सी–FP/UP/Road/29617/2017, दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, गोण्डा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच वन प्रभाग, बहराइच ।
3. अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-229